POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.11.2022

1-थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा विदेशी करेंसी दिखाकर कम रूपयों मे बदलने का लालच देकर उनसे ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 चाकू, 41500/- भारतीय रूपये, 01 नोट अमेरिकन करेंसी 20 डालर, 05 नोट सउदी अरब करेंसी कुल 250 रियाल, 02 मोबाइल फोन व एक रुमाल मे लिपटा हुआ पुलिन्दा बरामद।

दिनांक 14.11.22 को थाना सेक्टर 142 पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त (1) मिजानुर शेख पुत्र स्व0 बारिक शेख नि0 ग्राम बिलासपुर पो0 अनुखाल थाना कालना जिला वर्दमान पश्चिम बंगाल हालपता म0सं0 72 शान्ति कुष्ठ आश्रम ताहिरपुरा न्यू सिमापुरी पूर्वी दिल्ली (2) मुर्शलीम मंडल पुत्र स्व0 सिराजुल मंडल नि0 ग्राम बिलासपुर पो0 अनुखाल थाना कालना जिला वर्दमान पश्चिम बंगाल हालपता म0सं0 72 शान्ति कुष्ठ आश्रम ताहिरपुरा न्यू सिमापुरी पूर्वी दिल्ली को थाना हाजा क्षेत्र स्थित एडवान्ट टावर के चौराहे पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 13.11.22 को मुकदमा उपरोक्त के वादी से 15000 डालर देनें के एवज में 450,000/- रूपये की ठगी की गयी थी । अभियुक्तों के कब्जे से 02 चाकू, 41500/- भारतीय रूपये, 01 नोट अमेरिकन करेंसी कुल 20 डालर, 05 नोट सउदी अरब करेंसी कुल 250 रियाल, 02 मोबाइल फोन तथा एक रूमाल में अखबार से लिपटी साबुन की टिक्की बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो सीधे साधे लोगों को डालर, रियाल व अन्य विदेशी करेंसी दिखाकर कम रूपयों मे बदलने का लालच देकर उनसे ठगी करते हैं, अभियुक्त लोगों दिखाने के लिये डालर व रियाल आदि बाहर रखते है व साबुन की टिक्की के चारो तरफ अखबार के कागज लगाकर व एक रुमाल मे कसकर बांधकर पीडित को देते है तथारूपये लेकर फरार हो जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

(1) मिजानुर शेख पुत्र स्व0 बारिक शेख नि0 ग्राम बिलासपुर पो0 अनुखाल थाना कालना जिला वर्दमान पश्चिम बंगाल हालपता द्द म0सं0 72 शान्ति कुष्ठ आश्रम ताहिरपुरा न्यू सिमापुरी पूर्वी दिल्ली

(2) मुर्शलीम मंडल पुत्र स्व0 सिराजुल मंडल नि0 ग्राम बिलासपुर पो0 अनुखाल थाना कालना जिला वर्दमान पश्चिम बंगाल हालपता द्द म0सं0 72 शान्ति कुष्ठ आश्रम ताहिरपुरा न्यू सिमापुरी पूर्वी दिल्ली

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 117/22 धारा 420/406 भादवि, थाना सेक्टर 142 नोएडा गौतमबुद्धनगर

मु0अ0सं0 119/22 धारा 420/406 भादवि, थाना सेक्टर 142 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1.83 नोट भारतीय करंसी कुल 41500 रूपये

2.01 नोट अमेरिकन करंसी - 20 डालर

3.05 नोट सउदी अरब करेंसी (50 रियाल प्रत्येक) कुल - 250 रियाल

4.02 चाकू नाजायज

5.02 मोबाइल फोन (घटना में प्रयुक्त)

6.01 रूमाल में अखबार से लिपटी साबुन की टिक्की (घटना में प्रयुक्त)

2-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा संचित शर्मा उर्फ सिंगा पण्डित पर बीते दिनों हुए जानलेवा हमले का अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा दिनांक 13.11.2022 को अभियुक्त अश्वनी उर्फ रिंकू पुत्र सूरजपाल निवासी प्लाट नं0-740-41 एमएस ब्लाक राणाजी एन्कलेव नंगली सकरावती थाना नजफगढ दिल्ली को परीचौक के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर मय तीन जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुए हैं ।

अभियुक्त रणदीप भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है जो दिनांक 03.11.2022 को बहुचर्चित प्रकरण एटीएस गोल चक्कर पर सिंगा पंडित उर्फ संचित शर्मा के साथ हुयी मारपीट में शामिल रहा है गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में शातिर बदमाश रहा है जो कि डकैती , लूट व अवैध असलाह रखने के मामले में दिल्ली के द्वारिका थाने से जेल जा चुका है। अभियुक्त के ऊपर लगभग एक दर्जन अभियोग दिल्ली एनसीआर में दर्ज हैं । वर्तमान में अपने साथीयों के साथ मिलकर रणदीप गैंग के साथ भाडे के शूटर का काम कर रहा है व सुपारी लेकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है।

घटना का विवरण-

दिनांक- 03.11.2022 को एटीएस गोल चक्कर के पास दो स्कोर्पियो गाडियों में सवार अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सिंगा पण्डित उर्फ संचित शर्मा पर जानलेवा हमला करते हुए लोहे की रौड व डडों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अश्वनी उर्फ रिंकू पुत्र सूरजपाल निवासी नं0-740-41 डै ब्लाक राणाजी एन्कलेव नंगली सकरावती थाना नजफगढ दिल्ली

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1.मु0अ0सं0-710/2022 धारा 147/148/149/341/307/120बी/34/427 भादवि थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0सं0-723/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0सं0-54/2015 धारा 392/34 भादवि थाना रनहौला दिल्ली

4.मु0अ0सं0-59/2015 धारा 392/397/34 भादवि थाना कापसहेडा दिल्ली

5.मु0अ0सं0-63/2015 धारा 392/397/34 भादवि थाना द्वारिका नार्थ दिल्ली

6.मु0अ0सं0-87/2015 धारा 356/379/411 भादवि थाना बाबा हरिदास नगर दिल्ली

7.मु0अ0सं0-115/2015 धारा 392/34 भादवि थाना द्वारिका साउथ दिल्ली

8.मु0अ0सं0-132/2015 धारा 394/34 भादवि थाना द्वारिका साउथ दिल्ली

9.मु0अ0सं0-230/2015 धारा 25/54/59 आयुध अधिनियम व 411/482/34 भादवि थाना द्वारिका नार्थ दिल्ली

10. मु0अ0सं0-163/2016 धारा 323/379/354/34 भादवि थाना नजफगढ दिल्ली

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध पिस्टल 32 बोर मय तीन जिन्दा कारतूस 32 बोर

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्री आलोक सिंह के निर्देशानुसार कमिश्नरेट के अन्तर्गत सडक दुर्घटनाओ को रोकने के लिए अभियान चलाकर लोगो को जागरूक करने के लिए माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है।

इसी क्रम में यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 14.11.2022 को जागरूकता/प्रवर्तन में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है -

जागरूकता कार्यक्रम (लगभग 10) -

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा कमिश्नरेट के विभिन्न स्कूल/कॉलेज छात्र/छात्राओं को यातायात नियमो की जानकारी दी गयी तथा उनका पालन करने हेतु प्रेरित किया गया।

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा सूरजपुर घण्टा चौक पर एलईडी वैन पर सॉर्ट वीडियो दिखाकर आमजन को यातायात नियमो के प्रति जागरूक किया गया।

यातायात पुलिस की रोड सेफ्टी सैल द्वारा कमिश्नरेट के विभिन्न संस्थानों में यातायात नियमो का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटो का वितरण किया गया।

प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण -

बिना हेलमेट – 350,बिना सीट बेल्ट – 41,विपरीत दिशा – 66,तीन सवारी – 21,मोबाइल फोन का प्रयोग – 02,बिना डीएल - 24

दोषपूर्ण नम्बर प्लेट – 18,ध्वनि प्रदूषण – 10,वायु प्रदूषण – 12,रेड लाइट का उल्लंघन – 14,नो पार्किंग – 43,अन्य - 22

कुल ई-चालान - 603

उपरोक्त के अतिरिक्त यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 06 वाहनों को सीज किया गया।